मैसर्स माछर रिसोर्ट बनाम मैसर्स वास्तु टाउनशिप

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	152/2022 आज्ञा विस्तृत रूप से	डी.आई. प्रारूप
	5/9/24	प्रार्थना पत्र पेश हुआ। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र डी.आई. पेश भरी किया है। अस्थायी नं. 1 व 3 का जवाब पत्र पत्र 12 तक आता है। वास्ते उभयपक्ष अधिवक्ता प्रार्थना पत्र डी.आई. सुनी गई। दहज उभयपक्ष व प्रार्थना पत्र का मय दस्तावेज अवलोकन करने पर उभयपक्ष की जरिये कार्यवाही निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मुकदमे के निस्तारण तक वाके ग्राम गणपतपुरा, पटवार हल्का उस्मानपुरा तह. सांगानेर जिला जयपुर स्थित खसरा नं. 601/74, 603/75, 74/2, 75/1 के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र फैसला शुमार होकर, फर्द नम्बर के उपर है, वाद तकमीन दायक हफ्ता है।	उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Reader
14.2.22

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या/152/2022

मैसर्स माछर रिसोर्ट एल एल पी
जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/पार्टनर के. सी. परवाल
रजिस्टर्ड पता- डी-54, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर। .....प्रार्थी/वादी

बनाम

1. मैसर्स वास्तु टाउनशिप प्रा. लि जरिये निदेशक विजय सिंह कुल्हरी
पता- जी-3-4, गीतांजलि टॉवर, अजमेर रोड, जयपुर।
2. विजय सिंह कुल्हरी पुत्र श्री नाहर सिंह कुल्हरी
निवासी प्लाट नम्बर 73 शिवाजी नगर, सिविल लाईन्स, जयपुर।
3. हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र फूलचन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण
निवासी जी-2, प्लाट नम्बर 840, गौतम मार्ग, रानी सती नगर, जयपुर।
4. आवंटीगण/आवंटी के ट्रांसफरी वास्तु नगर फेज-7, जरिये वास्तु टाउनशिप प्रा. लि.
पता- जी-3-4, गीतांजलि टॉवर, अजमेर रोड, जयपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर
पता- तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।
.....अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, व आदेश 39 नियम 1 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

श्रीमान् जी,

प्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निम्न प्रकार प्रस्तुत :-

For Mochhar Resorts LLP
Designated Partner

क्रमशः.....2

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:13:32 IST
Reason: SelfAttested